प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन हेतु विभिन्न अवयवों से संबंधित विवरण

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत आशायित लाभार्थी निम्नलिखित है

i. मछुआरे
ii. मत्स्य किसान
iii. मत्स्य श्रमिक और मत्स्य विक्रेता
iv. मत्स्य विकास निगम
v. मात्स्यिकी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0)/संयुक्त देयता समूह (जे0एल0जी0)
vi. मत्स्य पालन सहकारिता
vii. मत्स्य पालन संघ
viii. उधमी और निजी फर्म
ix. मत्स्य किसान उत्पादन संगठन/कंपनियां (एफ0एफ0पी0ओ0)/(सी0एस0)
x. अनु. जा./अनु ज.जा./महिला/दिव्यांग व्यक्ति
xi. राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र और इनकी संस्थाऐं जो इनमे शामिल हैं

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजात :–

(क) व्यक्तिगत (**Individual**) आवेदन हेतु–

1. सामान्य कागजात–

i. आवेदक का पासपोर्ट–साईज फोटो।
ii. आवेदक का आधार/भारत सरकार द्वारा मान्य कोई भी फोटो पहचान–पत्र।
iii. शपथ पत्र (विहित प्रपत्र में)।
iv. बैंक पासबुक अथवा चेक (जिसमें बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) की छायाप्रति।
v. जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये)।

2. भूमि संबंधी अवयवों हेतु कागजात–

i. निजी भूमि का खाता, खेसरा, रकवा एवं स्पष्ट हिस्सेदारी सहित भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा लगान राजस्व रसीद (गत् अथवा वर्तमान वर्ष)।
ii. पट्टा/लीज की भूमि की स्थिति में योजनानुसार निबंधित लीज की प्रति।
iii. सरकारी भूमि की स्थिति में सरकारी पट्टा/परवाना की प्रति, सरकारी भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज।
iv. डी0पी0आर0/एस0सी0पी0।

3. विपणन एवं ई–ट्रेडिंग संबंधी अवयवों हेतु कागजात– मत्स्य विपणन संबंधी अवयवों यथा दो पहिया, तीन पहिया, साईकिल, इनसुलेटेड वाहन, रेफ्रिजेरेटेड वाहन एवं मोबाईल फिश किऑस्क हेतु सिर्फ सामान्य कागजातों की आवश्यकता होगी। भूमि संबंधी कागजातों की आवश्यकता नहीं होगी।

4. परंपरागत मछुआरों संबंधी अवयवों हेतु कागजात – परंपरागत मछुआरों संबंधी अवयवों यथा परंमपरागत मछुआरों के लिए नावों (प्रतिस्थापन) और जाल प्रदान करना एवं मछली पकड़ने के प्रतिबंध/दुर्बल अवधि के दौरान मत्स्यपालन संसाधनों के सरंक्षण के लिए समाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता हेतु सामान्य कागाजातों के अतिरिक्त आवेदक का परंपरागत सक्रिय मछुआरा होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। पंरमपरागत सक्रिय मछुआरा होने का प्रमाण पत्र जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ने के प्रतिबंध/दुर्बल अवधि के दौरान मत्स्यपालन संसाधनों के सरंक्षण के लिए समाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता अवयव हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा।

(ख) समूह यथा **SHG/JLG/FFPO/Federation**/मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ हेतु–

समूह के सभी सदस्यों को एक इकाई मानते हुए समूह के द्वारा समर्पित आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

a. सामान्य कागजात–

i. ग्रुप लीडर/संस्था प्रमुख का पासपोर्ट–साईज फोटो।
ii. ग्रुप लीडर का आधार।
iii. शपथ पत्र (विहित प्रपत्र में)।
iv. संस्था का बैंक पासबुक अथवा चेक (जिसमें बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति
v. पंजीकरण/निबंधन प्रमाण–पत्र/पहले आम सभा की बैठक की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

b. भूमि संबंधी कागजात–

i. समूह के सदस्य के नाम पर भूमि होने की स्थिति में खाता, खेसरा, रकवा एवं स्पष्ट हिस्सेदारी सहित भू–स्वामित्व–प्रमाण पत्र अथवा लगान राजस्व रसीद (अद्यतन अथवा गत् वर्ष का)।
ii. पट्टा/लीज की भूमि की स्थिति में योजनानुसार निबंधित लीज की प्रति।
iii. सरकारी भूमि की स्थिति में सरकारी पट्टा/परवाना की प्रति, भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज।
iv. डी0पी0आर0/एस0सी0पी0।

c. विपणन संबंधी कागजात– मत्स्य विपणन संबंधी अवयवों यथा दो पहिया, तीन पहिया, साईकिल, इनसुलेटेड वाहन, रेफ्रिजेरेटेड वाहन एवं मोबाईल फिश किऑस्क हेतु सिर्फ सामान्य कागजातों की आवश्यकता होगी। भूमि संबंधी कागजातों की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) व्यवसायिक संस्थान/कंपनी ऐक्ट के तहत निबंधित हेतु–

a. सामान्य कागजात–

i. संस्थान/कंपनी के डाइरेक्टर का पासपोर्ट–साईज फोटो।
ii. संस्थान/कंपनी के डाइरेक्टर का आधार।
iii. शपथ पत्र (विहित प्रपत्र में)।
iv. संस्थान/कंपनी का चेक (जिसमें बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित) की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।
v. Certificate of Incorporation.
vi. संस्थान/कंपनी का पैन कार्ड।
vii. संस्थान/कंपनी का जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र।
viii. संस्थान/कंपनी का विगत वर्ष (2018–19) का अंकेक्षित वित्तीय विवरणी।

b. भूमि संबंधी कागजात–

i. व्यवसायिक संस्थान या कम्पनी की भूमि का भू–स्वामित्व–प्रमाण पत्र अथवा लगान राजस्व रसीद (खाता, खेसरा, रकवा एवं स्पष्ट हिस्सेदारी सहित)।
ii. पट्टा/लीज की भूमि की स्थिति में योजनानुसार निबंधित लीज की प्रति।
iii. सरकारी भूमि की स्थिति में सरकारी पट्टा/परवाना की प्रति, भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज।
iv. डी0पी0आर0/एस0सी0पी0।

c. **विपणन संबंधी कागजात–** मत्स्य विपणन संबंधी अवयवों यथा दो पहिया, तीन पहिया, साईकिल, इनसुलेटेड वाहन, रेफ्रिजेरेटेड वाहन एवं मोबाईल फिश किऑस्क हेतु सिर्फ सामान्य कागजातों की आवश्यकता होगी। भूमि संबंधी कागजातों की आवश्यकता नहीं होगी।